रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 1986/माघ 8, 1907
No. 27] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 1986/MAGHA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1986

संकल्प

संख्या एस. 16025/3/82-एल. डब्ल्यू. खण्ड-2 :—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड 1, तारीख 6 नवम्बर, 1982 में प्रकाशित संकल्प संख्या एस.-16025/3/82-एल. डब्ल्यू., तारीख 5 नवम्बर, 1982 के साथ पठित तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1, तारीख 15 जून, 1982 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के संकल्प संख्या एस.-16025/3/82-एल. डब्ल्यू., तारीख 14 जून, 1982 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रेलवे की लोको शेडों में कोयला और राख हैण्डल करने के कार्य में ठेका श्रम पद्धति समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित समिति में श्री जे. एम. आजाद के स्थान पर श्री आर. एस. चुघ को उक्त समिति का सदस्य नामित करती है और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त संकल्प में क्रमांक 3 में "श्री जे. एस. आजाद, संयुक्त निदेशक, मैकेनिकल इंजीनियरी (ईंधन), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3) श्री आर. एस. चुघ, सदस्य
संयुक्त निदेशक,
मैकेनिकल इंजीनियरी (ईंधन),
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),
नई दिल्ली ।

संख्या एस. 16025/3/82-एल. डब्ल्यू. खण्ड-2,

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1986

आदेश

उक्त संकल्प की प्रतियां निम्नलिखित को प्रेषित की जाएं :—

1. केन्द्रीय सलाहकार (ठेका श्रम) बोर्ड के सभी सदस्य ।
2. श्री आर. एल. चुघ, संयुक्त निदेशक, मैकेनिकल इंजीनियर (ईंधन), रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली ।

3. कुमारी उर्मिला शर्मा, संयुक्त निदेशक, वित्त (स्थापना), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली ।

4. श्री एस. के. सन्याल, कार्यकारी अध्यक्ष, इंडियन माइन्स वर्कर्स फेडरेशन, बोरनाला, नागपुर-13 ।

5. श्री एस. दास गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी, इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन, राजेन्द्र पथ, धनबाद ।

6. श्री जे. सी. दास, सदस्य संयोजक और प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मुख्य श्रम आयुक्त (के.) का कार्यालय, नई दिल्ली ।

7. श्री टी. एन. विज, संयुक्त निदेशक, स्थापना (एल. एल.), परिवहन मंत्रालय, रेल विभाग, (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. (एल एल/83 ए टी/सी एन आर/1-5), तारीख 29 नवम्बर, 1985 के संदर्भ में (एक अतिरिक्त प्रति सहित) प्रेषित ताकि श्री जे. एस. आजाद को भेजी जा सके ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया जाए ।

ए. के. श्रीवास्तव, महानिदेशक,
(श्रम कल्याण/संयुक्त सचिव)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th January, 1986

RESOLUTION

No. S. 16025(3)|82-LW. Vol. II.—In partial modification of the Ministry of Labour Resolution No. S-16025|3|82-LW, dated the 14th June, 1982, published in Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, dated the 15th June, 1982 read with Resolution No. S-16025|3|82-LW dated the 5th November, 1982 published in Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1 dated the 6th November, 1982, the Central Government hereby nominates Shri R. S. Chugh as member of the Committee to consider the question of abolition of contract labour system in Coal and ash handling work in Loco sheds of the Indian Railways vice Shri J. S. Azad and makes the following amendments, namely :—

2. In the said Resolution against serial No. 3 for the words and letters "Shri J. S. Azad, Joint Director, Mechnical Engineering (Fuel), Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi", the following shall be substituted, namely :—

3. R. S. Chugh, Member
Joint Director,
Mechanical Engineering (Fuel),
Ministry of Railways,
(Railway Board),
New Delhi.

No. S. 16025|3|82-LW. Vol. II,
New Delhi, the 28th January, 1986

ORDER

Copies of the Resolution may be sent to :—

1. All the members of the Central Advisory Contract Labour Board.
2. Shri R. S. Chugh, Joint Director, Mechanical Engineering (Fuel), Ministry of Railways, (Railway Board), New Delhi.
3. Miss Urmila Sharma, Joint Director, Finance (Establishment), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi.
4. Shri S. K. Sanyal, Working President, Indian Mines Workers' Federation, BORNALA, Nagpur-13.
5. Shri S. Das Gupta, General Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, Rajendra Path, Dhanbad.
6. Shri J. C. Das, Member-Convener and Regional Labour Commissioner (Central), Office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.
7. Shri T. N. Vijh, Joint Director, Establishment (LL), Ministry of Transport, Deptt. of Railways (Railway Board), New Delhi with reference to their Office Memorandum No. E(LL)|83AT|CNR|1-5 dated the 29th November, 1985 with one spare copy for onward transmission to Shri J. S. Azad.
8. ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

A. K. SRIVASTAVA, Director Genl.
(Labour Welfare|Jt. Secy.)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986